रजिस्ट्री स. डी (डी. एन)-7

REGISTERED No. D (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 483] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1984/पौष 8, 1906
No. 483] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 1984/PAUSA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1984

सा का नि 831(अ) —केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 1984 का संलग्न अनुसूची के अनुसार अनुमोदन करती है।

2 उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

[एफ डब्ल्यू पी डब्ल्यू/पी ई आर -14/84]
पी. वी राव, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कांडला पत्तन का न्यासी मंडल, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसी की धारा 124(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ कांडला पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण व अपील) विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् —

कांडला पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील)

संशोधन विनियम, 1984

(I) इन विनियमों को कांडला पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 1984 कहा जाये।

(II) ये, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(III) कांडला पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम 1964 में—

(1) विद्यमान विनियम 2(ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए
"मंडल", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" और "विभाग प्रमुख" का अभिप्राय अधिनियम के 2(ग) के तदर्थानरूप है।

(2) विनियम 11 के अन्तर्गत विद्यमान अनुसूची को निम्नलिखित अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए—

अनुसूची

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	दंड देने हेतु सक्षम प्राधिकारी और दंड जो (विनियम 10 के खंड (i) से (vii) के अनुसार) दिये जाते हैं		अपील प्राधिकारी
		प्राधिकारी	दंड	
(1) पद जो महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) में समाविष्ट है।	अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार	(क) अध्यक्ष	खंड (i) से खंड (iii) तक	केन्द्रीय सरकार
		(ख) केन्द्रीय सरकार में पूर्व अनुमोदन के साथ अध्यक्ष	खंड (iv) से खंड (vii) तक	केन्द्रीय सरकार
(2) पद श्रेणी-I (महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) में समाविष्ट पदों को छोड़कर)	अध्यक्ष	(क) अध्यक्ष	समस्त	केन्द्रीय सरकार
		(ख) उपाध्यक्ष	खंड (i) से खंड (iii) तक	अध्यक्ष
(3) पद श्रेणी-II	उपाध्यक्ष	(क) उपाध्यक्ष	समस्त	अध्यक्ष
		(ख) विभाग प्रमुख	खंड (i) से खंड (iii) तक	उपाध्यक्ष
पद श्रेणी III के पद	विभाग प्रमुख	विभाग प्रमुख	समस्त	खंड (iv) से खंड (vii) तक के दंडों के लिए अध्यक्ष और खंड (i) से खंड (iii) तक के दंडों के लिए उपाध्यक्ष।
		हार्बर मास्टर, अधीक्षण अभियन्ता, यातायात उपप्रबंधक, सर्वेक्षण अधीक्षक, उप सचिव, और उप वित्तीय सलाहकार एवम् मुख्य लेखाधिकारी।	खंड (i) से खंड (iii) तक	विभाग प्रमुख
पद श्रेणी-I के पद	विभाग प्रमुख	विभाग प्रमुख	समस्त	खंड (iv) से खंड (vii) तक के दंडों के लिए अध्यक्ष और (i) से (iii) तक के दंडों के लिए उपाध्यक्ष
		हार्बर मास्टर, कार्यपालक अभियन्ता वरिष्ठ अभियन्ता, (पाइपलाइन) वरिष्ठ भंडार अधिकारी, यातायात उप प्रबंधक, उप सचिव, उप वित्तीय सलाहकार एवम् मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डेजर मास्टर और प्रभागी अभियन्ता।	खंड (i) से खंड (iii) तक	

(3) विनियम 27(क) में (ii) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत स्थापित की जाए (ii) (क) उपाध्यक्ष, या"।

(4) विनियम 27 (क) के द्वितीय परन्तुक की प्रथम पंक्ति में "प्रयोग करते हुए" शब्दों के पश्चात् "उपाध्यक्ष या" शब्द प्रतिस्थापित किए जाए।

सचिव,

कांडला पत्तन न्यास

फुट नोट

1 मुख्य विनियम की जी एस आर संख्या 309 है।

2 संशोधन विनियम की जी एस आर संख्या 1162 एवं तारीख 26-12-81 है।

3 अधिसूचना संख्या तथा सरकार के अनुमोदन की तारीख पीडब्ल्यू/पीइके/23-81 तारीख 1-10-1981।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1984

GSR 831(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 1984 as set out in the Schedule attached.

2. The said regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F.W. PW/PER-14/84]

P.V. RAO, Jt. Secy.

THE SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), and with the approval of the Central Government under Section 124(1) ibid, the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby make the following regulations to further amend the Kandla Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations 1964, namely :—

The Kandla Port Employees (Classification, Control & Appeal) Amendment Regulations, 1984.

(I) These regulations may be called the Kandla Port Employees (Classification, Control & Appeal) Amendment Regulations, 1984.

(II) They shall come into force on the date on which the Central Government's approval thereto is published in the official gazette.

(III) In the Kandla Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1964—

(1) Substitute the existing Regulation 2(c) by the following :—

"2(c) 'Board', 'Chairman', 'Deputy Chairman', and 'Head of Department' have the meaning assigned to them in the Act".

(2) Substitute the existing Schedule under Regulation 11 by the following schedule :

SCHEDULE

	Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to clause (i) to (vii) in regulation (10))		Appellate Authority
			Authority	Penalties	
	1	2	3	4	5
I	Posts covered by clause (a) of sub-section (1) of Section 24 of the Major Port Trusts Act, 1963.	Central Government after consultation with the Chairman.	(a) Chairman (b) Chairman with prior approval of Central Government.	(i) to (iii) (iv) to (vii)	Central Govt. Central Govt.
II	Class I posts (Other than those covered by clause (a) of sub-section (1) of Section 24 of the Major Port Trusts Act, 1963).	Chairman	(a) Chairman (b) Deputy Chairman	All (i) to (iii)	Central Government Chairman
III	Class II posts	Deputy Chairman	Dy. Chairman Head of Deptt.	All (i) to (iii)	Chairman Deputy Chairman.
IV	Class III posts	Head of a Department	Head of Deptt.	All	Chairman in respect of penalties (iv) to (vii) and Dy. Chairman in respect of penalties (i) to (iii)
			Harbour Master, Superintending Engineer, Deputy Traffic Manager, Plant Superintendent, Deputy Secretary & Deputy F.A. & C.A.O.	(i) to (iii)	Head of Department

	1	2	3	4	5
V	Class IV posts	Head of a Department	Head of Department	All	Chairman in respect of penalties (iv) to (vii) and Dy. Chairman in respect of penalties (i) to (iii)
			Harbour Master, Executive Engineer, Sr. Engineer (Pipe-line), Senior Stores Officer, Deputy Traffic Manager, Deputy Secretary, Deputy F A. & C.A.O., Senior Medical Officer, Dredger Master & Engineer-in-Charge.	(i) to (iii)	Head of Department.

(3) Insert the following entry in Regulation 27 (A) (i) after (ii) :— "(ii) (a) the Deputy Chairman, or".

(4) Insert the words 'Deputy Chairman or' after the words 'exercised by' in the first line of second proviso to Regulation 27 (A) (1).

Secretary,
Kandla Port Trust.

Foot Note : 1. G.S.R. No. of principal Regulation is 309.
2. G.S.R. No. & date of Amendment Regulation is 1162 dated 26-12-81.
3. Notification No. & date of Government's approval No. PW/PEK-23-81 dated 1-10-81.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985